



2026:AHC:165175

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 15181 सन् 2019

श्रीमती पूनम जायसवाल

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : अभिजीत मुखर्जी, आनंद कुमार श्रीवास्तव, राजीव लोचन

द्विवेदी

प्रतिवादी गण के अधिवक्ता : अजय कुमार श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, गौरव तिवारी

न्यायालय संख्या - 34

क्रमांक 115

माननीय न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिजीत मुखर्जी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना ।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ दाखिल की गई है:

“I. उत्प्रेषण की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 29.07.2019 के आदेश (संलग्नक संख्या 13) को निरस्त किया जाए।

II. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादियों को दिनांक 29.07.2019 के आदेश को प्रभावी न करने का आदेश दिया जाए।”

3. मामले के संक्षेप में बताए गए तथ्य यह हैं कि विधिवत चयन प्रक्रिया के पश्चात् तथा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, याचिकाकर्ता को दिनांक 02.09.2010 के नियुक्ति आदेश द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर जिला स्तरीय

सामाजिक अंकेक्षण समन्वयक के पद पर निश्चित मानदेय तथा निश्चित यात्रा एवं अन्य भत्तों पर नियुक्त किया गया था। तब से याचिकाकर्ता प्रतिवादियों की संतुष्टि के अनुसार कार्य करती रही और किसी भी स्तर से उसके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की गई। याचिकाकर्ता के विरुद्ध यह शिकायत की गई कि उसने गलत अधिवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता एक विवाहित महिला थी तथा किसी अन्य स्थान की निवासी थी। यह आरोप लगाया गया कि चयन के पश्चात् याचिकाकर्ता ने गंभीर त्रुटियां की हैं तथा याचिकाकर्ता द्वारा भिन्न वंशावली और पता प्रदान किया गया है।

4. उपर्युक्त शिकायत के दृष्टिगत, दिनांक 31.01.2019 की कारण बताओ नोटिस के माध्यम से याचिकाकर्ता को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। दिनांक 05.02.2019 को याचिकाकर्ता ने उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना विस्तृत स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् दिनांक 29.07.2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की सेवाएं समाप्त कर दी गईं और यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता ने अपने चयन के पश्चात् अपने आवेदन में परिवर्तन किया था। इससे क्षुब्ध होकर याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दाखिल की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से अपनी वंशावली का उल्लेख श्री वृद्धि चंद जायसवाल, पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल की पुत्री के रूप में किया था। इस प्रकार, स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल याचिकाकर्ता के दादा थे। तथापि, नियुक्ति पत्र जारी करते समय प्रतिवादियों द्वारा पिता/पति के नाम के स्थान पर उसके दादा स्वर्गीय श्री लक्ष्मी जायसवाल का नाम अंकित कर दिया गया। नियुक्ति पत्र रिट याचिका के पृष्ठ 45 पर संलग्न है और उसमें केवल श्रीमती पूनम जायसवाल, पुत्री स्वर्गीय लक्ष्मी जायसवाल, निवासी मेसर्स भारत इलेक्ट्रिकल वर्क्स, देवरिया रोड, देवरिया अंकित है।

6. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि दिनांक 08.09.2010 को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पश्चात् उसने कार्यभार ग्रहण किया और कार्यभार ग्रहण करते समय ही उसने यह उल्लेख किया था कि उसके पिता का नाम श्री वृद्धि चंद जायसवाल के स्थान पर गलत रूप से स्वर्गीय लक्ष्मी जायसवाल अंकित किया गया है। कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट की प्रति वर्तमान याचिका के संलग्नक-9 के रूप में संलग्न है। अतः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता ने

प्रथम उपलब्ध अवसर पर ही नियुक्ति पत्र में पिता का नाम गलत अंकित किए जाने की जानकारी दे दी थी। इसके पश्चात् याचिकाकर्ता ने नियुक्ति प्राप्त की और संतोषजनक रूप से कार्य किया तथा पूरे कार्यकाल के दौरान याचिकाकर्ता के कार्य-निष्पादन के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया गया। उक्त शिकायत एक बृजेश कुमार मिश्रा द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जो उसके पति के साथ मिलीभगत में था, जिसके साथ याचिकाकर्ता का वैवाहिक विवाद चल रहा था और उसके संबंध में वाद-विवाद न्यायालयों में लंबित था। उक्त वैवाहिक विवाद के कारण नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता अपने पिता के साथ रह रही थी। अतः केवल उक्त शिकायत के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका याचिकाकर्ता द्वारा विधिवत उत्तर दिया गया और तत्पश्चात् आक्षेपित आदेश गलत रूप से पारित किया गया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में परिवर्तन किया था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र की प्रति पर भरोसा किया है, जिसे वर्तमान याचिका में संलग्नक-3 के रूप में पृष्ठ 35 पर अभिलेख पर रखा गया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से अपने पिता का नाम वृद्धि चंद जायसवाल, पुत्र लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल अंकित किया है। अतः विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदन प्रस्तुत करते समय नियुक्ति के समय याचिकाकर्ता द्वारा न तो कोई अवैधानिकता अथवा त्रुटि की गई थी और न ही कोई तथ्य छिपाया गया था। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन के संबंध में आंकड़े दर्ज करते समय हुई किसी लिपिकीय त्रुटि के कारण, याचिकाकर्ता के पिता वृद्धि चंद जायसवाल के नाम के स्थान पर प्राप्त आवेदनों की क्रम संख्या 247 पर उसके दादा का नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार विवरण दर्ज किए जाने में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी। अतः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आक्षेपित आदेश अत्यंत त्रुटिपूर्ण तथा किसी आधार के बिना पारित किया गया है और इसमें याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है। अतः वह दिनांक 29.07.2019 के आक्षेपित आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करता है।

8. इसके विपरीत, प्रतिवादी की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को समुचित अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् पारित किया गया है तथा याचिकाकर्ता के चयन से संबंधित संपूर्ण अभिलेख का परीक्षण करने के पश्चात्

विस्तृत आक्षेपित आदेश पारित किया गया और तत्पश्चात् उक्त आक्षेपित आदेश द्वारा याचिकाकर्ता का चयन निरस्त कर दिया गया।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के पश्चात् इस न्यायालय ने मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अपने पिता का नाम वृद्धि चंद जायसवाल अंकित किया था तथा उसके दादा का नाम भी स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल के रूप में अंकित था। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन का विवरण दर्ज करते समय याचिकाकर्ता के पिता/पति के नाम के सामने स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल का नाम दर्ज कर दिया गया, जो याचिकाकर्ता के दादा थे और उक्त प्रविष्टि के आधार पर याचिकाकर्ता को जारी नियुक्ति पत्र में भी उसका नाम स्वर्गीय लक्ष्मी जायसवाल की पुत्री के रूप में अंकित किया गया, जबकि स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल वास्तव में याचिकाकर्ता के दादा थे। उक्त त्रुटि प्रतिवादियों द्वारा आवेदन का विवरण दर्ज करते समय हुई है। अन्यथा भी, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अन्य सभी दस्तावेजों, जैसे जाति प्रमाण-पत्र, अधिवास प्रमाण-पत्र आदि में उसके पिता का नाम स्पष्ट रूप से वृद्धि चंद जायसवाल अंकित है। इस दृष्टिकोण से, प्रतिवादियों द्वारा आक्षेपित आदेश में जिस आधार पर भरोसा किया गया है, वह क्रम संख्या 247 पर की गई गलत प्रविष्टि है, जिसमें दादा का नाम दर्ज किया गया था और प्रतिवादियों द्वारा की गई इस गलत प्रविष्टि के लिए याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

10. उपर्युक्त दृष्टिकोण से, प्रतिवादियों द्वारा की गई उक्त गलत प्रविष्टि के आधार पर पारित आक्षेपित आदेश के लिए याचिकाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अतः दिनांक 29.07.2019 का आक्षेपित आदेश अनुचित है और एतद्वारा निरस्त किया जाता है। परिणामतः, वर्तमान रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।

11. प्रति-शपथपत्र में प्रतिवादी की ओर से ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। इस दृष्टिकोण से, याचिकाकर्ता को इस आदेश की सूचना दिए जाने की तारीख से 4 सप्ताह के भीतर पुनः सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। तथापि, चूंकि वर्तमान पद केवल मानदेय आधारित पद है और यह



स्वीकार किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कार्य नहीं किया है, यद्यपि ऐसा प्रतिवादियों की ओर से आक्षेपित आदेश पारित किए जाने में हुई त्रुटि के कारण हुआ है, अतः ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता आक्षेपित आदेश की तारीख से पुनर्बहाली की तारीख तक की मध्यवर्ती अवधि के लिए मानदेय प्राप्त करने की अधिकारी नहीं होगी। तथापि, पुनर्बहाली की तारीख से याचिकाकर्ता को उपलब्ध सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिसमें सेवा की निरंतरता भी सम्मिलित होगी, सिवाय उपर्युक्त अवधि के मानदेय के भुगतान के।

(न्यायमूर्ति श्री अनीश कुमार गुप्ता)

05 अगस्त, 2026

ओ.के.